न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – पंकज कुमार आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या – 14/2023 (जीसीएमएस न. 2022/613)

प्रार्थीगण –

श्रीमती विमला पत्नि श्री छवरलाल जी जाति माली निवासी मंदिर वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर के कायम मुकाम –

1. श्री रूकमण सिंह पुत्र स्व. श्रीमती विमला जाति माली निवासी मंदिर वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर
2. श्री प्रेम सिंह पुत्र स्व. श्रीमती विमला जाति माली निवासी मंदिर वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर
3. श्री विरेन्द्र पुत्र स्व. श्रीमती विमला जाति माली निवासी मंदिर वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर
4. श्री रविन्द्र पुत्र स्व. श्रीमती विमला जाति माली निवासी मंदिर वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. श्रीमती हरकु पत्नि श्री भगवान जी जाति माली निवासी खेडी वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर।
2. श्री रामसिंह पुत्र श्री भगवान जी जाति माली निवासी खेडी वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर।
3. श्री महेन्द्र पुत्र श्री भगवान जी जाति माली निवासी खेडी वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर।
4. श्री महेश पुत्र श्री भगवान जी जाति माली निवासी खेडी वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर।
5. श्री जबरसिंह पुत्र श्री भगवान जी जाति माली निवासी खेडी वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर।
6. श्रीमती गीता पत्नी श्री श्याम जी पुत्री श्री भगवान जी जाति माली निवासी खेडी वाला बेरा माता का थान मंगरा पूंजला जोधपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:– आदेश –: दिनांक 22/4/24

उपस्थित :–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिसिंह कच्छवाह।
अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री सोनाराम चौधरी एवं श्री कानाराम गोदारा।
अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से राजकीय पेरोकार।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मूल प्रार्थीनी श्रीमती विमला द्वारा न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमिया खसरा न 154/41 रकबा 3 बिस्वा 5 बिस्वांशी खसरा न. 154/11 रकबा 18 बिस्वा 13 बिस्वाशी खसरा न. 154 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा खसरा न. 154/42 रकबा 1 बिस्वा 2 बिस्वाशी ग्राम पूदंला तहसील व जिला जोधपुर की भूमि स्वयं की पैतृक खातेदारी की भूमि बताते हुए घोषणा बंटवाडा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के पिता व पति श्री भगवान जी की रिकोर्डेड खातेदारी की कृषि भूमियां की श्री भगवान जी का देहांत होने के उपरांत उनके चारो पुत्रो दो पुत्रीयों तथा पत्नि में उपरोक्त वादग्रस्त भूमि बाबत् हक अधिकार स्वत ही निहित हो गये तथा समस्त वारिसान अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी तथा प्रार्थीगण का पूर्वजो के समय से ही यानि वक्त सेटेलमेन्ट से ही कब्जा काश्त है। पैतृक सहदायिकी होने के कारण प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमियों में 1/7 हिस्सा बनता है। श्री भगवान जी का देहांत होने उपरांत अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के हक में पारित नामांतकरण पूर्ण प्रभावी है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के अधिकारो को चुनौती देते हुए प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी उत्पन्न कर रहे है तथा बैचान हस्तांतरण पर आमादा होते हुए अवैध निर्माण कार्य करने पर उतारू है। विधिवत विभाजन दिनांक अप्रार्थीगण को ऐसा कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण के हक में सुदृढ़ प्रथम दृष्ट्या वाद सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीयक्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है जिस कारण अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के कब्जे का तथा उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी नही करने बिना विधिवत विभाजन एवं निर्माण स्वीकृति के किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करने एवं मौके तथा राजस्व रेकोर्ड की यथा स्थिती बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण के उपरोक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 01 से 06 द्वारा प्रतिउत्तर दृशाते हुए अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के हस्ताक्षरित प्रस्तुत करते हुए मुख्यतः वाद ग्रस्त भूमियां श्री भगवान जी के खातेदारी की होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि श्री भगवान जी के देहांत उपरान्त मूल प्रार्थीनी श्रीमती विमला एवं अप्रार्थीगण संख्या 06 श्रीमती गीता द्वारा दिनांक 23.02.2004 को विधिवत रूप से एक पजीबंद्व हकतर्कनामा अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पक्ष में निष्पादित करते अपने समस्त हक व अधिकार अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के पक्ष में त्याग दिये है जिस कारण प्रार्थीगण को हस्तगत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही है हकतर्कनामा निष्पादित करने के पश्चात् प्रार्थीगण का एवं अप्रार्थी संख्या 06 का वाद ग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार शेष नही रहा है। जिस कारण नामान्तरण संख्या 1111 विधिवत रूप से पारित किया गया है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 06 का वाद ग्रस्त भूमियो पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग नही है प्रार्थीनी द्वारा वास्तवित तथ्यो को छुपाते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है। कब्जे के संबंध में प्रार्थीनी द्वारा झूठा कथन किया गया है। नामान्तरण संख्या 111 हकतर्कनामे के आधार पर पारित किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा लोभ व लालचवश यह वाद प्रस्तुत किया गया है चूंकि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक, हिस्सा व अधिकार तथा कब्जा ही नही है तो ऐसी स्थिति में दखल अन्दाजी करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीनी को मौजुदा वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण ही उत्पन्न नही होता है। दिनांक 26.01.2023 की घटना भी झूठी बताई गई है। प्राथीगण के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या वाद सिद्व है न ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सिद्व है प्रार्थीनी द्वारा केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 01 से 05 को उद्वापित करने के आशय से मोजुदा वाद प्रस्तुत कियां है जिस कारण यह प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के विरूद्व प्रार्थी विरेन्द्र पुत्र श्री छवरलाल द्वारा कांउण्टर शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि तथाकथित हकतर्कनामा दिनांक 23.02.2004 प्रार्थीगण के हक अधिकारो के विरूद्व प्रारम्भत प्रभाव शून्य मात्र है। प्रार्थीगण की माता के नाम नामान्तरण पारित करवाने एवं तरमीम करने का कह कर धौखाधडी व छलकपट करते हुए निष्पादित करवाया गया है जिसके निरस्त किये जाने हुए दिवानी न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। हकतर्कनामे की वैधता दिवानी न्यायालय द्वारा निर्णित की जानी शेष है। आपराधिक कृत्य के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जा चुकी है जिसका अनुसंधान विचाराधीन है प्रार्थीगण द्वारा विधिवत रूप से वाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण वाद ग्रस्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिस कारण उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोकते हुए राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति पांबद किया

उपखण्ड अधिकारी

...क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा दिवानी न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को ही बहस में शुमार किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया है कि तथाकथित हकतर्कनामा छल, कपट एवं धौखे से निष्पादित करवाया गया है जिस दस्तावेज को निरस्त करने हुए दिवानी न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत किया जा चुका है ऐसा तथाकथित दस्तावेज प्रारम्भत प्रभाव शून्य मात्र है जिसका विधि के दृष्टी में किसी प्रकार का कोई महत्व नही है। दिवानी न्यायालय द्वारा भी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण को सर्वप्रथम अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाये जाने बाबत् मन्तव्य व्यक्त किया गया है। वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है ऐसी स्थिति में वाद ग्रस्त सम्पति की सुरक्षा किया जाना आवश्यक है। अन्यथा यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक उद्वेश्यो में सफल हो जाते है तो वाद बहुल्यता भी बढेगी एवं अनावश्यक पेचिदगिया भी बढेगी जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा मौखिक बहस करते हुए निवेदन किया गया है कि मूल प्रार्थीनी श्रीमती विमला स्वयं द्वारा उत्तराधिकार में स्वयं को प्राप्त अधिकारो का त्याग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के तहत् किया जा चुका है। प्रार्थीगण विवादित हकतर्कनामे को प्रारम्भत प्रभाव शून्य सिद्व करने में असफल रहे है। श्रीमती विमला द्वारा वर्ष 2004 में निष्पादित हकतर्कनामा प्रार्थीगण के अभिवचनो के उपरांत शून्यकरणीय दस्तावेज की श्रेणी में आता है। जिसकी, दिवानी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किये जाने तक विधिक मान्यता को कतई चुनौती नही दी जा सकती है। पंजीबद्व दस्तावेज के आधार पर श्रीमती विमला वाद ग्रस्त भूमि की खातेदार भी नही रही है। धारा 140 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् भी एक पंजीबद्व दस्तावेज की सत्यता एवं वैधानिकता की उपधारना किया जाना भी आवश्यक है। हकतर्कनामे को चुनौती दिये गये आधार राजस्व न्यायालय को निस्तारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही हैं। प्रार्थीगण दिवानी न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। हकर्तनामा 20 वर्ष पुराना है प्रार्थीगण के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या वाद सिद्व है न सुविधा का सन्तुलन एवं न ही अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सिद्व है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते हुए मूल रूप से प्रथम दृष्ट्या वाद सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दू निर्णित किया जाना है। जिस संबंध में न्यायालय की विवेचना निम्नानुसार है।

प्रथम दृष्ट्या वाद – प्रार्थीगण द्वारा मूल रूप से स्वयं के वाद ग्रस्त भूमियां बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वाद ग्रस्त भूमिया पक्षकारान के पूर्व पुरूष श्री भगवान जी की रेकोडेड खातेदारी की कृषि भूमियां है जिनका देहांत होने के उपरांत श्री भगवान जी के समस्त प्रथम श्रेणी के प्रार्थीनी एंव अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के हक अधिकार अपने–अपने हिस्से 1/7 – 1/7 के अनुसार निहित हो चुके है। जिस तथ्य को अप्रार्थीगण द्वारा भी अस्वीकार नही किया गया है। अप्रार्थीगण स्वय द्वारा प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी संख्या 06 के द्वारा हकतर्कनामा निष्पादित किये जाने का कथन किया गया है। जिससे प्रथम दृष्ट्या यह सिद्व है कि वाद ग्रस्त भूमियो में प्रार्थीनी का 1/7 हिस्सा श्री भगवान जी के देहांत उपरांत निहित हुआ। बकोल अप्रार्थीगण प्रार्थीनी द्वारा अपने हिस्से का त्याग पंजीबद्व दस्तावेज के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के हक में किया जा चुका है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसे हकतर्कनामा दस्तावेज को विभिन्न आधारो पर दिवानी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा चुकी है जो बाद साक्ष्य ही निस्तारित किया जाना संभव है। स्वयं दिवानी न्यायालय द्वारा अपने अंतिरम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पारित आदेश में खातेदारी अधिकारो की घोषणा के संबंध में अभिकथन किये गये है। न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय केवल मात्र यह देखना है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जरिये स्वय के हक में प्रथम दृष्ट्या वाद सिद्व किया है अथवा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिका
(उत्तर) जोधपुर

नही। न्यायालय स्वयं को भी इस स्तर पर प्रथम दृष्ट्या वाद बिन्दु को निस्तारित किया जाना है न कि प्रथम स्वामित्व को निस्तारित करना है। प्रार्थीगण का वाद ग्रस्त भूमि में वर्ष 2004 में हकतर्कनामा निष्पादित करने के उपरांत किसी प्रकार का अधिकार है अथवा नही जो समस्त साक्ष्य का विषय है जिसका निस्तारण बाद साक्ष्य ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण स्वंय के हक में प्रथम दृष्ट्या वाद सिद्व करने में सफल रहे है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति – चुंकि प्रार्थीगण प्रथम दृष्ट्या वाद सिद्व करने में सफल रहे है यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण राजस्व रेकोडेड के इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण अथवा अन्य व्ययन विशिष्ट पडौस दर्शाते हुए करने में सफल हो जाते है अथवा अकृषि उपयोग करने में सफल हो जाते है तो वाद की बहुल्यता भी बढेगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगिया भी उत्पन्न होगी जिससे अप्रार्थीगण के बजाय प्रार्थीगण को अत्यधिक तुलनात्मक कठिनाई होगी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सिद्व है जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है –

आदेश

उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण प्रथम दृष्ट्या वाद सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु सिद्व करने में सफल रहे है। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि अप्रार्थीगण वाद ग्रस्त भूमियो खसरा न 154/41 रकबा 3 बिस्वा 5 बिस्वांशी खसरा न. 154 /11 रकबा 18 बिस्वा 13 बिस्वांशी खसरा न. 154 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा खसरा न. 154/42 रकबा 1 बिस्वा 2 बिस्वांशी ग्राम पूदंला तहसील व जिला जोधपुर का विशिष्ठ पडौस दर्शाते हुए बैचान हस्तान्तरण नही करे तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से की 1/7 हिस्से की भूमि के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी नही करें। प्रार्थीगण के हक हिस्से की 1/7 हिस्से की भूमि बाबत् मौके एंव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे किसी प्रकार का कोई अकृषि उपयोग नही करें।

पंकज कुमार
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

आदेश आज दिनांक 22/4/24 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

पंकज कुमार 22/4/24
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर